न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 115/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्टद
श्रीमती मूमल पुत्री स्व0 नारायणराभ पत्नी चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी मेघवालो की बस्ती, डिगाडी तहसील व जिला जोधपुर		1– देवाराम पुत्र स्व0 नारायणराम 2– तुलछाराम पुत्र स्व0 नारायणराम 3– लूणाराम पुत्र स्व0 नारायणराम जाति मेघवाल निवासी उचियाडा, तहसील व जिला जोधपुर 4– जगनाथ पुत्र किशनदास जाति नायक, निवासी पाबुपुरा, तहसील व जिला जोधपुर 5– द्रोपती सांखला पत्नी प्यारेलाल जाति खटीक निवासी उचियाडा, तहसील व जिला जोधपुर 6– श्रीमती रेखा गोकुल कुनोजिया जाति धोबी निवासी 311, सेक्टर 7 गन्दे नाले के पास, न्यू पावर हाउस रोड तहसील एवं जिला जोधपुर 7– जीवनराम पुत्र बुद्धाराम जाति मेघवाल निवासी 112 अशोक विहार, शिकारगढ तहसील व जिला जोधपुर 8– छोगाराम पुत्र बिंजाराम जाति मेघवाल निवासी एकता नगर, बनाड रोड जोधपुर 9– लक्ष्मणराम पुत्र ढगलाराम जाति सरगरा निवासी अशोक नगर, शिकारगढ जोधपुर 10–नंदलाल पुत्र मोतीराम जाति मोची निवासी रामदेव नगर, मसुरिया जोधपुर 11– श्रीमती कालकीदेवी पत्नी नारायणराम पुत्री स्व0 नारायणराम जाति मेघवाल निवासी खातियासनी तहसील व जिला जोधपुर 12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 9–9–2020 जिसे अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 23/2019 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ओ0पी0मेहता अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से ।
3– श्री गोपाल मेघवाल रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
4– रेस्पो0 2 व 4 से 11 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
5– श्री नवलसिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12 की ओर से ।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

निर्णय

दिनांक 10–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उचियाडा तहसील

नारायणराम पुत्र रावतराम थे । खातेदार नारायणराम का देहांत वर्ष 1992 मे होने पर उसके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वर्तमान अपील के अपीलार्थियां एवं रेस्पा0 संख्या 1 से 3 व 11 थे इसके अलावा खातेदार नारायणराम की पत्नी हीरा बेवा नारायणराम भी मौजुद थी परंतु उनकी पत्नी का देहांत वर्ष 2007 मे हो गया था । उपरोक्त कृषि भूमि मे स्व0 नारायणराम के स्वर्गवास पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 86 मृतक खातेदार नारायणराम के वारिसों की जांच किये बिना केवल 3 पुत्रो क्रमशः देवाराम, तुलछाराम, लुणाराम पि0 नारायणराम (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3) एवं उसकी पत्नी हीरो पत्नी नारायणराम के नाम दर्ज करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 22–5–92 को स्वीकृत कर दिया । उक्त नामांतरकरण संख्या 86 के विरूद्ध मृतक खातेदार नारायणराम की पुत्रियां श्रीमती मूमल एवं श्रीमती कालकी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–9–2020 के द्वारा अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे कानूनी भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने हेतु जो कारण दर्शाये गये थे जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद शुमार करना चाहिये था । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 गण द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब या खण्डन प्रस्तुत नही किया गया था और न ही पत्रावली पर ऐसी कोई एवीडेन्स ही थी जिससे यह माना जा सके कि नामांतरकरण की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थियां को सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया हो इसलिए यह कतई नही माना जा सकता कि अपीलार्थी को उक्त नामांतरकरण के बारे मे पूर्व से जानकारी हो । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रावधान दाण्डिक नही है बल्कि न्याय के मार्ग को प्रसस्त करने मे सहायक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व मामले के गुणावगुण पर विचार किया जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था । वर्तमान मामले मे विरासत के नामांतरकरण मे केवल पुत्रो के ही नाम दर्ज किये जबकि पुत्रियों का भी उनके पिता की सम्पति मे बराबर का अधिकार होते हुए उन्हे अपने पिता के खातेदारी भूमि से वंचित रखते हुए जो म्युटेशन स्वीकृत किया गया था वह प्रारंभ से ही शून्य था तथा ऐसे शून्य आदेशो के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा यह भी कथन किया कि उतराधिकार के मामलो मे मयाद लागू नही होती है, इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य

अति० संभागीय आयुक्त, जोधपुर

वकील अपीलार्थियां ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 व 3 ने उनके खातेदारी मे दर्ज भूमि का बेचान वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 4 से 10 को कर दिया है जबकि वे अपने हिस्से तक का ही बेचान कर सकते थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थियां की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलार्थियां की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–9–2020 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 86 ग्राम उचियाडा को निरस्त कर विवादग्रस्त भूमि मे रेस्पो0 के साथ अपीलार्थियां का भी नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–9–2020 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि खातेदार नारायणराम के वर्ष 1992 मे फोत होने पर उतराधिकार का नामांतरकरण संख्या 86 उसके तीन पुत्रो एवं उसकी पत्नी के नाम दिनांक 22–5–92 को स्वीकृत किया गया था । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2014 मे लगभग 22 वर्ष विलंब से वर्तमान अपीलार्थियां मूमल एवं रेस्पो0 संख्या 11 कालकीदेवी ने मृतक खातेदार नारायणराम की पुत्रियां होना बताते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 86 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे विस्तृत विवेचन देते हुए अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान धारा 3 मयाद अधिनियम के प्रावधानो की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 तुलछाराम एवं रेस्पो0 संख्या 3 लूणाराम ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान भी कर दिया तथा बेचान के आधार पर केतागणो के नाम भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हो गई तथा बेचान के अनुरूप अलग–अलग तरमीम होकर बट्टा नंबर भी पड गये । ऐसे मे अपीलार्थियां यदि अपीलाधीन भूमि मे किसी प्रकार का हक अधिकार रखती है तो इसके लिए उन्हे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारो की घोषणा करवानी होगी तथा इसी के निरंतर मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे दिये गये विवेचन को न्यायालय मे पढकर सुनाया जिसे विधिसम्मत बताते हुए अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन मे 2021 (2) आर.आर.टी.पेज 1201, ए.आई.आर. 2020 सु.को. 979, ए.आई.आर. 2020 सु.को. 746, 2014 (सप्ली) सीसीसी 848 सु.को, 2008 (61)एआईसी 221, ए.आई.आर. 2009 एससीड़ब्लु 6305, 2014 (1)एपेक्स कोर्ट निर्णय 200 सु.को. एवं 2006 एआईआर एससीड़ब्लु 3595 की निर्णय नजीरे पेश की ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां की ओर से अधीनस्थ

करने का कोई संतोषप्रद कारण धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया हुआ नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय मे स्पष्ट विवेचन देते हुए खारीज की है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थियां स्वयं को मृतक खातेदार नारायणराम की पुत्री होना बताते हुए वर्ष 1992 मे स्वीकृत हुए विरासत के म्युटेशन को अधीनस्थ न्यायालय मे 22 वर्ष के विलंब से म्युटेशन अपील के जरिये अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार तय करवाना चाहती है, जो विधिसम्मत नही है जबकि अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित खातेदारान द्वारा अधिकांश भूमि का बेचान पृथक पृथक व्यक्तियो को कर दिया था ऐसे मे म्युटेशन अपील के जरिये अपीलार्थियां को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही हो सकते इसके लिए अपीलाथियां को स्व0 पिता के खातेदारी भूमि मे अपने अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अपने अधिकारो की घोषणा करवानी होगी तथा यही अभिमत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे दिया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9-9-2020 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 86 ग्राम उचियाडा आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया ।

वर्तमान अपील अपीलार्थियां द्वारा नामांतरकरण संख्या 86 ग्राम उचियाडा स्वीकृति दिनांक 22-5-1992 के संबंध मे अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-9-2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है । उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 22 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई थी ।

धारा 5 परिसीमा अधिनियम मे विहित प्रावधान इस प्रकार है– कोई भी अपील या कोई भी आवेदन, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)के आदेश 21 के उपबंधो मे से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी या आवेदक, न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा 15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In case a party is found to be negligent, or for

court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any condition whatsoever. The application is to be decided only within the parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court on time condoning the delay without any justification, putting any condition whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 (SUPPL) CIVIL COURT CASES 848 (S.C.) पेरा 20,23, एवं 24 में प्रतिपादित किया गया है कि–

Limitation Act 1963, S.5, Civil Procedure Code 1908, O. 41R.3A- Delay in filling appeal – Condonation of delay – Filling of an application for condodining delay of 1727 days without disclosing reasons and failure to pay court fee at the time of appeal discloses that there was total lack of bona fides in its approach – Delay condoned by High Court after imposing cost of Rs.50,000/- is erroneous and cannot be sustained-Imugned order set aside –Delay held, not to be condoned.

अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है, प्रार्थना पत्र मे जो Delay condone का कारण दर्शाया है, उसमे विश्वसनीयता व ठोस आधार प्रतीत नही होता है वरन् काल्पनिक बातो का सहारा लिया जाना दृष्टिगोचर होता है ।

उक्त अपील काफी लंबी अवधि के बाद अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है तथा 22 वर्ष पुराने नामांतरकरण की अपील के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त किया जाना न्यायसंगत विधिक प्रकिया नही है । नामान्तकरण के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी सम्पति का अधिकार, स्वामित्व या हित सृजित नही होता है, यह केवल वित्तिय उदेश्य के लिए है। अपीलार्थियां को खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिए सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चाराजोही की जानी चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय मे नामांतरकरण अपील के जरिये उक्त अधिकार को चाहा जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1996 S.C. 2823 : 1996 (7) JT SC 580 मे प्रतिपादित किया गया है कि–

"Mutation of a property in the revenue record does not create or extinguish title nor has it any presumptive value on title. It only enables the person in whose mutation is ordered to pay the Land revenue in question."

उक्त अपील मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित sufficient cause नही पाया जाता है जिसके आधार पर 22 वर्ष के लंबे Delay को condone किये जाने का कोई आधार उत्पन्न हो। चूंकि नामांतरकरण की प्रकिया एक वित्तिय उदेश्य संबंधी

परिणामस्वरुप अपीलाथियों द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–9–2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर